तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/7/19	पुकार फरीकैन हाजिर। प्रतिवादी वकील 1 से 6 का जवाब जवाब पेश नही करते से जवाब बंद किया जाता है। प्रतिवादी 7, 8, 9 की तलबी का तलबाना वादी आज ही पेश करे। लिहाजा पत्रावली दि० 24/7/19 को पेश हो।
24/7/19	पुकार फरीकैन हाजिर। प्रतिवादी ने दिनांक 20/6/2019 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी तहत पेश कर उल्लेख किया कि वादीगण ने अदालत हाजा के समक्ष झूठे तथ्य एकत्रित कर दावा पेश किया है। चूंकी वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1858 मे जरिये आदेश दिनांक 30/8/18 के जरिये कनवर्जन के तहत रूपान्तरण हो चुकी है तथा वादग्रस्त आराजी वर्तमान मे रेजीडेन्सीयल है। किसी भी रूप मे उक्त वादग्रस्त आराजी खातेदारी लेण्ड नही कहलाता है। वादीगण का दावा मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का है तथा वादग्रस्त आराजी वर्तमान मे आवासीय प्रयोजनार्थ के काम आ रही है। किसी भी रूप मे उक्त जमीन खातेदारी भूमि नही है। इस कारण राजस्थान काश्तकारी लॉ के सेक्शन 207 के अनुसार बार्ड बार लॉ होने से रेवेन्यु कोर्ट का वादीगण द्वारा पेश वाद सुनवाई करने का

31/7/19
सहायक जिलाधीश (एस.डी.ओ.) जालोर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/5/11 ...क जिलाधीश (...स.डी.ओ.) जालोर	क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः आपत्तीय प्रयोजनार्थ के आदेश दिनांक 30/8/18 की जानकारी वादीगण को प्रारम्भ से है। ऐसी स्थिति में वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई वाद कारण भी पैदा नहीं होता है। इसलिये वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वादी द्वारा पेश कर उल्लेख किया कि विवादित भूमि रूपान्तरित अवश्य है परन्तु उक्त विज्ञापन के मूल आदेश को वादी द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अदालत में अपील में चुनौती दी गई है। जो विचाराधीन है ऐसी स्थिति में विज्ञापन का आदेश अंतिम आदेश नहीं है। (धारा 207 R.T. act) जो क्षेत्राधिकार से संबंधित है जो तनकीयात कायम कर ही माफिक कानून विनिश्चय किया जा सकता है। वादी द्वारा रूपान्तरण आदेश की जानकारी होने पर उक्त आदेश के विरुद्ध अपील की गई है। उक्त रूपान्तरण की आड़ में प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि में बेजाय दखलदाजी की जा रही है। इसलिए वादी ने यह दावा पेश किया है। इसलिये प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। बहस पर मनन किया व प्रकरण का अवलोकन किया। वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
	अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 CPC में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि का रूपान्तरण हो चुका है। जिससे वादग्रस्त आराजी की वर्तमान में राजस्व भूमि की प्रकृति नहीं रही है। जिससे इस न्यायालय जो एक राजस्व न्यायालय है को किसी राजस्व कृषि भूमि के संबंध में होने वाले प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं रह जाता है। इस प्रकार यह वाद क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर चलने योग्य नहीं होने से यह वाद विधि द्वारा वर्जित है। वादी ने रूपान्तरण होने के तथ्य को स्वीकार किया है। साथ ही वादी द्वारा दरख्वास्त अन्तर्गत 7 नियम 11 में वर्णित तथ्यों का प्रतिरोध नहीं कर विवादित आराजी का रूपान्तरण होना स्वीकार किया है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 CPC का स्वीकार किया जाकर वादी का उक्त वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दि0 24/9/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 24/9/19 (चम्पालाल जीनगर) RAS सहायक जिलाधीश (एस.डी.ओ.) जालोर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Champalal Jeengar
Date: 2020.03.02 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: